Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 130–2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 2, 2019 (SRAVANA 11, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd August, 2019

No. 27 HLA of 2019/63/11839.— The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 27— HLA of 2019

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:–

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2019.

Amendment of section 4 of Haryana Act 16 of 1994.

2. In the proviso to sub-section (4) of section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), for the words "four years", the words "five years" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th October, 2008.

Amendment of section 52 of Haryana Act 16 of 1994.

3. In sub–section (1) of section 52 of the principal Act,-

(i) for the sign ".", existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in addition to the aforesaid meeting, every Corporation shall hold atleast one meeting in every six months of a duration of not less than three days.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. As provided in the proviso to Section 4(4) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the first election to the Corporation is to be held within a period of four years of its constitution. The Municipal Corporation, Sonepat was constituted vide Govt. notification dated 06.07.2015 and its four years tenure of constitution has been completed on 05.07.2019. To conduct the election of this newly constituted Corporation, the process of wardbandi has already been completed and State Election Commission issued the programme to prepare the ward wise Electoral rolls vide notification dated 15.03.2019 which were to be published up to 20.06.2019. But it has been intimated by the Deputy Commissioner, Sonepat to the State Election Commission vide their letter dated 15.05.2019 that due to the Lok Sabha General Elections - 2019, the staff of Municipal Corporation, Sonepat has remained busy, therefore, the ward wise voter lists of Municipal Corporation, Sonepat could not be prepared. Keeping in view of the request of Deputy Commissioner, Sonepat, the State Election Commission extended the date of publication of ward wise voter lists upto 12.07.2019. Due to the reason the election of newly constituted Municipal Corporation, Sonepat could not be held during the period of four years of its constitution. To avoid legal complications in the matter, **it is proposed that an amendment in the proviso to Section 4(4) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 may be made to substitute term "four years" into "five years" to conduct the elections of newly constituted Corporations within five years from the date of their constitution,** due to the practical difficulties involved.

2. Presently, there is a provision in Section 52 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, that the Corporation shall ordinarily hold atleast one meeting in every month for the transaction of its business. But not much fruitful debate takes place in these meetings due to various reasons. To provide for a dedicated forum for meaningful debates in the interest of the concerned municipalities, a provision may be made in Section 52 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 to held atleast one session of Corporation in every six months of atleast three days consisting of atleast eight hours each day, in addition to the existing provisions mentioned in section 52 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. To provide for a dedicated forum for meaningful debates in the interest of the concerned Corporation, **a provision may be made in Section 52 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 to ensure atleast one meeting of every Corporation in every six months of a duration of not less than three days, in addition to the existing provisions of meetings mentioned in section 52 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.**

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 2nd August, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 27—एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (4) के परन्तुक में, ''चार वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 52 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में,—

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परन्तु उपरोक्त बैठक के अतिरिक्त, प्रत्येक निगम, कम से कम तीन दिन की अवधि के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(4) में प्रावधान है कि किसी भी नवगठित नगर निगम का पहला चुनाव उसके गठन की चार साल की अवधि के अन्दर होना है। सरकार की अधिसूचना संख्या दिनांक 06.07.2015 द्वारा नगर निगम, सोनीपत का गठन किया गया था, जिसके गठन की चार वर्ष की अवधि दिनांक 05.07.2019 को समाप्त हो चुकी है। इस नवगठित नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए, वार्डबन्दी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2019 द्वारा जारी किये गये कार्यक्रम अनुसार इन नगर निगम की वार्ड वाईज मतदाता सूची दिनांक 20.06.2019 तक प्रकाशित की जानी थी। लेकिन उपायुक्त, सोनीपत ने अपने पत्र दिनांक 15.05.2019 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया कि लोकसभा आम चुनाव – 2019 के कारण नगर निगम, सोनीपत के कर्मचारी व्यस्त रहे हैं, इसलिए नगर निगम, सोनीपत की वार्ड वाईज मतदाता सूची प्रकाशन हेतु तैयार नही की जा सकी। उपायुक्त, सोनीपत के अनुरोध को ध्यान में रखते हुये, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड वाईज मतदाता सूचियों के प्रकाशन की तिथि 12.07.2019 तक बढ़ा दी गई। इस कारण से नवगठित नगर निगम, सोनीपत के चुनाव उसके गठन की चार वर्ष की अवधि के अन्दर नही हो सका। इस मामले में कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए व व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण राज्य में किसी भी नवगठित नगर निगम के चुनाव उसके गठन की तिथि से पांच वर्ष के अन्दर करवाने हेतु हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(4) के परन्तुक में संशोधन करके ''चार वर्ष'' के स्थान पर ''पांच वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाना है।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 52 में वर्तमान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक नगर निगम के कार्य संचालन के लिए कम से कम प्रत्येक माह एक बैठक आयोजित की जाये। परन्तु विभिन्न कारणों से इन बैठकों में लाभदायी बहस नही हो पाती है। सम्बन्धित नगर निगम के हित में, अर्थपूर्ण बहस के लिये समर्पित मंच प्रदान करने हेतु, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 52 में यह प्रावधान किया जाये कि ''अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त प्रत्येक नगर निगम प्रत्येक छः माह में एक सत्र जो कम से कम तीन दिन का हो तथा जिसकी प्रत्येक दिन कम से कम आठ घण्टें की कार्य अवधि हो, का आयोजन करना सुनिश्चित करे। तदानुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 52 में यह प्रावधान जाना है कि ''अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त प्रत्येक नगर निगम प्रत्येक छः माह में एक बैठक, जिसकी अवधि तीन दिनों से कम ना हो, का आयोजन करना सुनिश्चित करें।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़:
दिनांक 2 अगस्त, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

57244—H.V.S.—H.G.P. Chd.